रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-234/2017/2290/22-2-2016-17(29)/2003

लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद** के सिद्धदोष **बन्दी गुलाब सिंह (बन्दी संख्या-2138/2000) पुत्र श्री सुखदेव सिंह, निवासी-पपरेन्दा, थाना-चिल्ला, जिला-बांदा,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-177/1986** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-148, 302/149** के अधीन मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), बांदा द्वारा **दिनांक 19-12-1987** को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था। बन्दी द्वारा दिनांक 07-11-2016 तक काटी गयी 18 वर्ष 02 माह 03 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 10 माह 00 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को **जिला मजिस्ट्रेट**, **बांदा** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

संख्या-234/2017/2290(1)/22-2-2016 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।

3- पुलिस अधीक्षक, बांदा।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in